(न्यायकक्ष संख्या 69)

WWW.LIVELAW.IN

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या **20529** वर्ष **2021**

नीरज मण्डल उर्फ राकेश ——————— आवेदक

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश —————— विपक्षी

<u>माननीय शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति</u>

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15—7—2021 के द्वारा एस0 पी0 काइम उत्तर प्रदेश एवं एस0 पी0 काइम, इलहाबाद एवं साइबर काइम निरीक्षक को समन करके यह पूछा गया था कि प्रदेश तथा प्रयागराज में एक लाख से ऊपर की साइबर ठगी और एक लाख के नीचे की साइबर ठगी के कितने मामले दर्ज है और उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है। उक्त आदेश के अनुपालन में साइबर ठगी के मामले और उसकी प्रगति रिपोर्ट उक्त पुलिस आफिसर द्वारा शपथ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह संतोषजनक नहीं है और उसे देखने से यह लगता है कि बैंक और पुलिस दोनों ही बैंक ग्राहक के खाते से साइबर ठगी को लेकर गम्भीर नहीं है और जैसा दुरूस्त प्रयास होना चाहिए वह बिल्कुल नहीं है और ऐसी स्थिति को देखकर ग्राहक जिसकी पूरी जीवन की पूंजी ही लूट गयी है वह कृत्य विरूद्व है और आश्चर्य तो तब होता है जब उसे समझाया जाता है कि साइबर ढग देश से दूर इलाकों से यह नेटवर्क चलाती है वह एरिया नेक्शलाइट एरिया है और वहां पुलिस जाने से डरती है । ऐसी स्थिति में उसका गया धन मिलना मुश्किल है तब करीब संतोष करके अपने भाग्य को कोश करके बैठ जाता है और बैंक की लापरवाही और पुलिस की सुस्ती का पूरा लाभ साइबर ठग उठाकर फिर दूसरे को ठगने में लगजाते है। आश्चर्य तो तब होता है जब इन साइबर ठगों, अपराधियों से जज सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिको के बारे में क्या कहा जाए। सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के अपराधों को कैसे सख्ती से रोका जाए और बैंक एवं पुलिस की जवाबदेही तय की जाए।

WWW.LIVELAW.IN

वर्तमान मामला साइबर ठगी से सम्बन्धित है जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के बैंक खाते से साइबर ठगों ने लाख रूपये फोन के माध्यम से जालसाजी करके निकाल लिए। दौरान विवेचना अभियुक्त गिरफतार किया गया औरउसके द्वारा बताया गया कि साइबर का उसका गिरोह है जिसके माध्यम से वह फर्जी मोबाइल सिम से लोगों से बात करके उनका बैंक विवरण जानकर पूरे पैसे बैंक ग्राहक के खाते से निकाल लेता है। ऐसा कार्य पूरे देश में साइबर ठगी द्वारा हो रहा है। मामले की गम्भीरता को देखते हुए अदालत ने महसूस किया कि देश का नागरिक अपनी गाढी कमाई की सुरक्षा हेतु अपना धन बैंक में रखकर निश्चित रहा है कि उसका पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा और आवश्यकता पडने पर चाहे वह बच्चे की पढायी हो, पत्नी का इलाज हो या बेटी की शादी हो जरूरत पडने पर वह बैंक में जमा पैसा निकालकर अपनी आवश्यकता पूरी कर लेगा लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी गाढी कमाई पर साइबर ढगी ने डाका डाल दिया है तो उसकी जमीन खिसक जाती है और उसके पूरे अरमानों पर पानी फिर जाताहै और उसके जीवन मरण की स्थिति बन जाती है यह केवल उन गरीबों की बात हे जो बैंक में पैसा जमा करते है। देश के प्रधानमंत्री का भी यह संकल्प है कि सभी का बैंक खाता हो जिसमें सरकार द्वारा मिलने वाला गरीबों का धन बिचौलियें को न प्राप्त हो सके। अदालत उन अमीर और सफेद पोशों की बात नहीं करती है जो अपने काले धन बैंक में नहीं रखते और स्वयं के पास रखकर देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करती है। अदालत तो केवल उन ईमानदार नागरिका की बात कर रही हे जो अपना पैसा बैंक में रखकर सरकार और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके विकास के रास्ते पर ले जाते हैं। किन्तु विडम्बना यह है कि गरीब का पैसा सुरक्षित स्थान बैंक में भी सुरक्षित नहीं है और वहां पर चोर उनके खाते से पैसा उडा देते है तो वह गरीब क्या करे यह सोचने की बात है कि गरीबों का बैंक में जमा पैसे की गारण्टी तो लेनी होगी और जिम्मेदारी तय करनी होगी। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह जानने की इच्छुक है कि यह कैसे तय हो कि बैंक खाते से

WWW.LIVELAW.IN
साइबर ठगी के माध्यम निकाला धन वापस हो और अगर वापस नहीं होता है तो पे करने की जिम्मेदारी किस पर तय की जाए। सम्बन्धित बैंक पर या अन्वेषण करने वाले सम्बन्धित पुलिस आफिसर पर। कहीं न कहीं तो यह तय करना ही पडेगा क्योंकि यह रोग पूरे देख को खोखला कर रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। यह कहने से बात नहीं बनेगी कि यह साइबर ठगी का मामला है। अपराधी पकड में नही आते है और ग्राहको को स्वयं होशियार रहना चाहिए। देश का बहुतायत जनसंख्या कम पढी लिखी और कम समझदार है जब कि साइबर ठगी करने वाले पढे लिखे और बेहद चालाक होते है जिनके झांसे में पढे लिखे भोले भाले नागरिक भरी फंस जाते है।

ऐसी स्थिति को जानने के लिए भारत सरकार के सालीशिटर जनरल श्री एस0 पी0 सिंह, रिजर्व बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास बुधवार एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री महेश चन्द्र चतुर्वेदी से अनुरोध करके उन्हें न्यायालय में बुलाया गया और उनसे इस मामले में अदालत का सहायोग करने का अनुरोध किया गया जिनके द्वारा यह बताया गया कि इस प्रकार के मामले गम्भीर है और यह पूरे देश में दीमक जैसा काम कर रहे है तथा देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे है। ऐसी दशा में उनसे अनुरोध किया गया कि वह भारत सरकार, राज्य सरकार और रिजर्व बैंक आफ इंण्डिया से इस प्रकार का मन्तव्य प्राप्त करें और शपथपत्र दाखिल करे जिसमें मार्ग दर्शन हो तथा यह भी बताये कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित कैसे रह सकता है। अदालत का यह मानना हे कि पैसा ग्राहकों का हर हालत में सुरक्षित होना चाहिए या तो जिस बैंक में ग्राहकों ने पैसा जमा किया है वह जिम्मेदार होगा और यदि यह पाया जाता है कि पुलिस के द्वारा जो विवेचना की जाती है उसमें उसकी लापरवाही होती है तो पुलिस विभाग जिम्मेदार होगा और इसकी भरपाई करेगा। साथ ही साथ रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास बुधवार से भी अदालत अनुरोध करती है कि वह इस सम्बंध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से दिशा निर्देश प्राप्त करे और जिससे गरीबों का पैसा सुरक्षित रह सके।

WWW.LIVELAW.IN

समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को नोटिस जारी हो कि वे इस सम्बंध में अपना शपथ पत्र दाखिल करें कि किस प्रकार से ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखा जा सकता है और पैसा गायब होने की स्थिति में बैंक और पुलिस जिम्मेदार होगें।

दिनांक 14—9—2021 समय 2—30 बजे दिन को दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या 25016 वर्ष 2021 के साथ प्रस्तुत किया जाए।

कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि वह पक्षकारों के सभी अधिवक्तागण को न्यायालय अभिलेख शीघ्र उपलब्ध करायें।

दि0— 24—8—2021 / अ